मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2000 (अग्रहायण 3,1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री विनोद डागा, सदस्य, बैतूल नगर पालिका द्वारा जी.आई. पाईप खरीदी में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, बीना कृषि उपज मंडी अध्यक्ष के संबंधियों द्वारा मंडी कर्मियों को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री रामपाल सिंह, लक्ष्मीकान्त शर्मा, सदस्य, सीहोर जिले के कुछ ग्रामों के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, रमाकांत तिवारी, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सतना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर बघेलान में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कमल पटेल, श्रीमती सविता दीवान, सदस्य, हरदा एवं होशंगाबाद जिलों में तवा जलाशय से कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में अनियमितता होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, कोलार बांध का पानी बुधनी क्षेत्र में दिये जाने से भोपाल में पेयजल संकट की स्थिति पैदा होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री मुंशीलाल, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा भाड़ा क्रय योजना के तहत अवैधानिक रूप से दाण्डिक ब्याज की वसूली किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री ग्यारसीलाल रावत, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है".

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. गोविन्द सिंह, राज्य मंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (पुनर्गठन और निर्माण) विधेयक, 2000 (क्रमांक 32 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. अशासकीय संकल्प

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों/महाविद्यालयों में ली जा रही फीस पर नियंत्रण हेतु राज्य शासन पहल करे".

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला चिकित्सालयों में समस्त पैथालॉजीकल, रेडियोलॉजीकल, कार्डियोलॉजीकल परीक्षणों की आधुनिकतम सुविधायें उपलब्ध कराई जायें".

(3) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश की ऐसी नगर निगम/नगर पालिका जो नागरिकों को विगत कई वर्षों से नल द्वारा पेयजल एक समय देते हैं और जल कर की राशि दो समय की लेते हैं ऐसी आधी राशि नागरिकों को वापस दी जाये".

भोपाल :
दिनांक : 23 नवम्बर, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.